ायालय उपखण्ड् अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

ासीन अधिकारी :– रेखा गुर्जर, आर.ए.एस.
दमा नम्बर 119/2022 राजस्व वाद
हिम्मत सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– सोडा का खेड़ा (उमरी) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––– वादी

बनाम

ंवर सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– सोडा का खेड़ा (उमरी) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
अभय सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– सोडा का खेड़ा (उमरी) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
कान सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– सोडा का खेड़ा (उमरी) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
नारायण सिंह पुत्र श्री हरिसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– सोडा का खेड़ा (उमरी) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
उम्मेद सिंह पुत्र श्री हरिसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– सोडा का खेड़ा (उमरी) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

पस्थित :–
श्री मुकेश कुमार जैन ––अधिवक्ता वादी
एकपक्षीय– ––प्रतिवादी संख्या 01 से 05
पेरोकार सरकार ––अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 06

:: निर्णय ::

दिनांक–26/05/2026

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 183 आर.टि.एक्ट के हत इस आशय का पेश किया कि सरहद सोडा का खेड़ा पटवार हल्का उमरी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ंख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 29 रकबा 0.3794 हैक्टयर, आराजी नम्बर 5/2 रकबा 0.9611 हैक्टयर, आराजी नम्बर 50 रकबा 0.2276 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे ादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। वादी वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित ाराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा वादी ने उक्त आराजी की थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के मक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 193/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 14 ौदह दिसम्बर 2021 दो हजार इक्कीस को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 03 तीन ो होने पर माह अप्रेल 2022 दो हजार बाईस मे प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा आराजी नम्बर 45/2 रकबा 0. 6 हैक्टयर (03 बीघा 16 बिस्वा) मे से 03 बीघा के 1/2 हक हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 01 एक व 1/2 हक हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 द्वारा व आराजी नम्बर 50 रकबा 0.2276 हैक्टयर (18 बिस्वा) मे से 03 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा व आराजी नम्बर 29 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा मे से 01 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 04 एवं 05 द्वारा कब्जा कर अपनी आराजीयात मे मिला दिया, जिससे दिनांक 24 चौबीस जून 022 दो हजार बाईस को उक्त आराजीयात पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की यी, जिसमे वादी की आराजी नम्बर 45/2 रकबा 0.96 हैक्टयर (03 बीघा 16 बिस्वा) मे से 03 बीघा के 1/2 क हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 01 एक व 1/2 हक हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 का व आराजी नम्बर 0 रकबा 0.2276 हैक्टयर (18 बिस्वा) मे से 03 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 01 एक का व आराजी नम्बर 29 कबा 0.3794 हैक्टयर (01 बीघा 10 बिस्वा) मे से 01 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 04 चारं एवं 05 का क्तानुसार अवैध कब्जा पाया गया। वादी की आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच का

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

ोई हक अधिकार नही है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच को कई बार वादपत्र की चरण ख्या 01 एक मे वर्णित वादी की आराजी नम्बर 45/2 रकबा 0.96 हैक्टयर (03 बीघा 16 बिस्वा) मे से 03 घा के 1/2 हक हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 01 एक व 1/2 हक हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 का आराजी नम्बर 50 रकबा 0.2276 हैक्टयर (18 बिस्वा) मे से 03 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा आराजी नम्बर 29 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा मे से 01 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 04 एवं 05 द्वारा किये गये ब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 एक लगायत 05 पांच ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम र वादी ने दिनांक 25 पच्चीस अगस्त 2022 दो हजार बाईस को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को ोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 03 तीन ादी के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच ने वादी ो धमकी दी कि वादी की मर्जी आये जो कर लेना , प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच उक्त ाराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादी प्रतिवादी संख्या 01 एक का कुछ नही बिगाड सकता है। इस ारण से वादी को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक गायत 05 पांच के विरूद्व इस आशय की कब्जेयाबी की डिक्री सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद ोडा का खेड़ा पटवार हल्का उमरी भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) वादी की आराजी नम्बर 45/2 रकबा 0.96 हैक्टयर (03 बीघा 16 बिस्वा) मे से 03 बीघा के 1/2 हक हिस्से र प्रतिवादी संख्या 01 एक व 1/2 हक हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 का व आराजी नम्बर 50 रकबा 2276 हैक्टयर (18 बिस्वा) मे से 03 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा, आराजी नम्बर 29 रकबा 01 घा 10 बिस्वा मे से 01 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 04 एवं 05 द्वारा किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादी को पुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को रिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया , लेकिन बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय ार्यवाही की गयी। वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र पेश किया गया व जमाबंदी की नकल व मौका पर्चा पोर्ट प्रदर्शित करवाये गये।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया या व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन िया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , पटवार ल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन िया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का अवैध कब्जा या गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 5 ने सरहद सोडा का खेड़ा पटवार हल्का उमरी भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला ीलवाड़ा (राज0) मे वादी की आराजी नम्बर 45/2 रकबा 0.96 हैक्टयर (03 बीघा 16 बिस्वा) मे से 03 बीघा के /2 हक हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 01 एक व 1/2 हक हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 का व आराजी म्बर 50 रकबा 0.2276 हैक्टयर (18 बिस्वा) मे से 03 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा, आराजी म्बर 29 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा मे से 01 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 04 एवं 05 द्वारा द्वारा किये गये कब्जे ो हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी र पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे। आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद ाप्त की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 26/05/2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा